

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY

Sadar

सूचि
दिय
एता
में र

Serial number of application-

Date of application-

Name of applicant-

Fees paid-

Stamp paper for-

Date of deposit -

16-06-2022

Cruntem Km

10002

RTPS No.:-

030113091002201802

में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण-पत्र
प्रवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों
संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है-

Registering Officer

क्र.सं.	दस्तावेज का प्रकार	जिल्ला	प्लॉट नं.	प्लॉट का क्षेत्र	प्लॉट का क्षेत्र	प्लॉट का क्षेत्र	प्लॉट का क्षेत्र	प्लॉट का क्षेत्र
1	PURNIA EAST	107/1						0
2	DSRO PURNIA EAST	BELORI 107/1	413,2008					0
3	DSRO PURNIA EAST	BELORI 107/1	326,323 403,404,405,406	09 ACRE 69 DEC 750				0
				SQKARI				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं
चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र देधार किया :-

नाम -ABHISEKH KUMAR SINHA
U D C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -MANOJ KUMAR SINHA
U D C

कार्यालय -

District Registry
Office, Purnia
Sadar



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 1802 दिनांक:- 16/06/2022

शाखा प्रबंधक SIMANCHAL INFRATECH PVT LTD के पत्र दिनांक 16/06/2022 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

District Registry Office, Purnea Sadar

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1802

RTPS No.:-
030113091002201802

चूंकि श्री GAUTAM KUMAR ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवधारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/1991 से ता० 15/06/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है-

क्र. संख्या	कार्यालय	प्रभाग	सीमा क्षेत्र	खाला	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्ला मन्थ्या सं	पुस्त सं	पुस्त सं
1	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	BELORI 107/1			407,410,411,412		0			
2	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	BELORI 107/1			413,2008		0			
3	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	BELORI 107/1	326,323	403,404,405,406	09 ACRE 69 DEC 750 SQKARI		0			

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-
नाम - ABHISEKH KUMAR SINHA
UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - MANOJ KUMAR SINHA
UDC

कार्यालय -

District Registry
Office, Purnea
Sadar



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 1802 दिनांक:- 16/06/2022

शाखा प्रबंधक SIMANCHAL INFRATECH PVT LTD के पत्र दिनांक 16/06/2022 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर